

**Articles in 'Dharam Yug' Regarding
Income Tax Raids in Jaipur Palaces**

9232. SHRI MOHAN LAL PIPIL :
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to certain articles that appeared in the different issues of Hindi weekly Magazine (Dharam Yug) during the period from 5th to 11th September and 12th to 18th September 1976 in regard to raids and searches carried out by the Income tax authorities in Jaipur palaces;

(b) whether it is a fact that in the said articles details have been given which could ordinarily not be available otherwise than through official records;

(c) whether it is also a fact that the writer of these articles is a close relative of a senior officer of his Ministry; and

(d) whether there has been any leakage of official secrets to the writer of these articles ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI
SATISH AGRAWAL) : (a) Yes, Sir.

(b) This is not correct. The articles published in the Hindi Weekly Magazine 'Dharamyug' are apparently a piece of imaginative journalistic story. These do not contain information of a secret or confidential nature borne on the official records. Such information as these articles contain could easily be gathered from different sources such as the publicity given to the searches in the media as well as from the replies to the questions and discussions in the Parliament on the subject from time to time.

(c) Yes Sir.

(d) No, Sir.

**जयपुर नागौर आंचलिक रूरल बैंक के
चेयरमैन द्वारा मकान का निर्माण**

9233. श्री राम कंवर बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री शान्ति लाल जैन ने जयपुर नागौर आंचलिक रूरल बैंक के चेयरमैन का पद सम्भालने के बाद इन्दौर में लगभग 2 लाख रुपए की लागत वाला अपना निजी मकान बना लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :

जी नहीं। श्री शान्ति लाल जैन ने, अक्टूबर, 1975 में जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर का अध्यक्ष पद संभालने के बाद, किसी मकान का निर्माण नहीं किया है।

**इटावा जिला (उत्तर प्रदेश) में पूर्विवा टोला
में मारे गये छापों में बरामद वस्तुएं**

9234. श्री दयाराम शाब्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने अप्रैल, 1969 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पूर्विवा टोला में मारे गये छापों के दौरान बरामद चांदी और सोने की 79 पेटियों के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे;

(ख) क्या वर्ष 1969 में जिन व्यक्तियों के यहां छापे मारे गये थे उनके और उनके परिवारों के नाम में लाखों रुपयों की सम्पत्ति इटावा शहर के विभिन्न बैंकों में जमा पड़ी थी परन्तु न तो इस मामले की कोई जांच की गई और न ही तत्सम्बन्धी पास बुकों को जब्त किया गया;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो बैंक दस्तावेजों के अनुसार सरकार द्वारा बरामद जेवरात के सम्बन्ध में और बैंक में जमा धन-राशि सम्बन्धी दस्तावेजों का व्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश
अग्रवाल) :** (क) से (घ). आयकर प्राधिकारियों ने अप्रैल, 1969 में इटावा जिला के पूर्विवा टोला में मैसर्स रामनारायण तथा बद्री प्रसाद और उनके परिवारों के सदस्यों के परिसरों की तलाशी ली थी। 1948-49 तथा 1954-55 से 1969-70 तक के कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित खाता-बहीयों और दस्तावेजों के अलावा 18.52 लाख